परियोजना-2 के लिए प्रपत्र

(नोट : सहायतानुदान मिल जाने पर विभाग के प्रति निमंत्रण पत्र/स्मारिका पर आभार प्रकाशित करना आवश्यक है। इन्हें प्रकाशित न किए जाने की दशा में मंच के आभार व्यक्त किया जाना आवश्यक है)

1	संस्था का नाम और पूरा पता	
2	पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकरण संख्या तथा तिथि	
3	कौन सी लोक कला का प्रदर्शन किया जा रहा है (नृत्य हो तो नाम लिखें)	
4	आयोजन की तिथि	
5	आयोजन स्थल	
6	कितने सदस्य भाग लेंगे : पुरूष---- स्त्री-----	
7	इससे पूर्व यह अनुदान किस माह और वर्षों में मिला था : माह--- वर्ष------	
8	यदि लोक-कला का प्रदर्शन न कर, कोई लोक वाद्य-यंत्र अथवा लोक कला हेतु परिधान बनाया जाना हो तो पूरा ब्यौरा दें	
9	कार्यक्रम हेतु अपेक्षित सहायतानुदान राशि	

हस्ताक्षर : ______
पदनाम : ______
संस्था : ______

<u>जिला भाषा अधिकारी की सिफारिश :</u>

यह संस्था इस से पूर्व दो आयोजन अपने स्रोतों से कर चुकी है। जिस लोक कला प्रदर्शन के लिए सहायतानुदान मांगा जा रहा है वह ______ तारीख को ______ स्थान पर किया जायेगा। इस आयोजन में ______ पुरूष ______ महिलाएं ______ भाग लेंगी/इसके मंचन पर मुझे आमंत्रित किया गया है। मंचन देखने के बाद पूरी रिपोर्ट दी जायेगी। सिफारिश की जाती है कि उन्हें ______ रुपये का सहायतानुदान दिया जावे ।

या

यह संस्था इससे पूर्व दो आयोजन अपने स्रोतों से कर चुकी है। मैंने इनके वाद्ययंत्र / लोक परिधान देखे हैं । मैं समझता हूँ कि इन्हें ______ लोक वाद्य/लोक परिधान की आवश्यकता है और इसे पाने पर इनका लोक कला प्रदर्शन बेहतर होगा ।

सिफारिश की जाती है कि इन्हें ______ रुपये का सहायतानुदान दिया जाये ।

जिला भाषा अधिकारी

परियोजना-2

लोक कलाओं हेतु सहायतानुदान परियोजना

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क(3)-10/80, दिनांक 11 अक्तूबर, 1985 द्वारा अनुमोदित)

1 उद्देश्य :

इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

1. लोक कलाओं को संरक्षण प्रदान करना ।
2. उनका विकास करना ।
3. उनका प्रचार-प्रसार करना ।
4. लोक कलाओं में प्रवीण कलाकारों की पहचान बनाना ।

2 संस्थायें जिन्हें धन राशि दी जा सकती है :

1. संस्था का व्यवसाय केवल लोक कलाओं का आयोजन ही न हो, और
2. संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत होनी चाहिए, या
3. संस्था साविधिक होनी चाहिए ।

3 सहायतानुदान देने की प्रक्रिया :

1. विभाग के विहित प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र जिला भाषा अधिकारी के माध्यम से विभाग तक पहुंचाना होगा ।
2. जिस थियेटर को बुक किया गया है उसकी मूल रसीद भी प्रार्थना पत्र के साथ लगी होनी चाहिए ।
3. सहायतानुदान की राशि, अनुदान देने की तिथि से तीन मास के भीतर व्यय करनी होगी। अन्यथा तमाम राशि ब्याज सहित वापस ले ली जायेगी ।
4. धन राशि जिला भाषा अधिकारी को ही दी जायेगी और संस्था को धन राशि, आयोजन की तिथि और स्थान निश्चित हो जाने पर ही जिला भाषा अधिकारी देंगे ।
5. सहायतानुदान प्राप्त संस्था, विभाग के अधिकारियों तथा जिला भाषा अधिकारी को आयोजन के लिए आमंत्रित करेगी ताकि आयोजन का स्तर जांचा जा सके ।

4 सहायतानुदान की सीमा :

1. विभाग प्रति आयोजन 1,000/- रुपये की राशि देगा । बाकी का खर्च स्वैच्छिक संस्था स्वंय वहन करेगी ।
2. यह अनुदान एक संस्था को एक वर्ष में केवल एक बार दिया जायेगा। परन्तु यदि निदेशक, भाषा एवं संस्कृति यह समझें कि लोक कला के प्रोत्साहन हेतु, किसी संस्था को वर्ष में दूसरी बार भी अनुदान दिया जाना उचित होगा तो दिया जा सकेगा ।
3. दी गई धन राशि, जिस उद्देश्य के लिए दी गई है, उसी पर व्यय की जायेगी ।
4. इस धन राशि से, यदि लोक कला के प्रोत्साहन हेतु कोई लोक वाद्य यंत्र/लोक वेशभूषा खरीद किये जायें तो उसे अवैध नहीं माना जायेगा ।

5 उपयोगिता प्रमाण-पत्र :

आयोजन के तुरन्त बाद संस्था के प्रधान/सचिव का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह उस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजे जिसमें खर्च के विवरण सहित, यह भी प्रमाणित किया गया हो कि राशि जिस प्रयोजन हेतु दी गई थी, उसी पर व्यय की गई है ।

प्रपत्र संलग्न है। प्रपत्र जिला भाषा अधिकारी द्वारा सिफारिशित किया जाना आवश्यक होगा।